दिनांक- 18.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 219/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 18.06.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

दिनांक- 18.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 220/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ थाना महोबकंठ

थाना महोबकंठ पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के पर्यवेक्षण में जनपद में अवैध शस्त्र व कारतूस की बिक्री/परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना महोबकंठ पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उक्त अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार द्वारा गठित पुलिस टीम, जिसमें उ0नि0 देवीशंकर मिश्रा एवं रि0का0 रोहित राव द्वारा आज दिनांक 18.06.2026 को टिकरिया मोड़ पर बने प्रतिक्षालय के पास चेकिंग के दौरान 01 नफर अभियुक्त मिथलेश साहू पुत्र श्रीपत, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी ग्राम गाडौ थाना महोबकंठ जनपद महोबा को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त मिथलेश साहू पुत्र श्रीपत के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर एवं 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद किया गया।

बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना महोबकंठ पर मु0अ0सं0 83/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा अन्य विधिक कार्यवाही अमल में लाई गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 देवीशंकर मिश्रा, थाना महोबकंठ जनपद महोबा

रि0का0 रोहित राव, थाना महोबकंठ जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-

मिथलेश साहू पुत्र श्रीपत, निवासी ग्राम गाडौ थाना महोबकंठ जनपद महोबा

बरामदगी-

- 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर
- 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

अपराध का विवरण-

- मु0अ0सं0 83/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना महोबकंठ जनपद महोबा

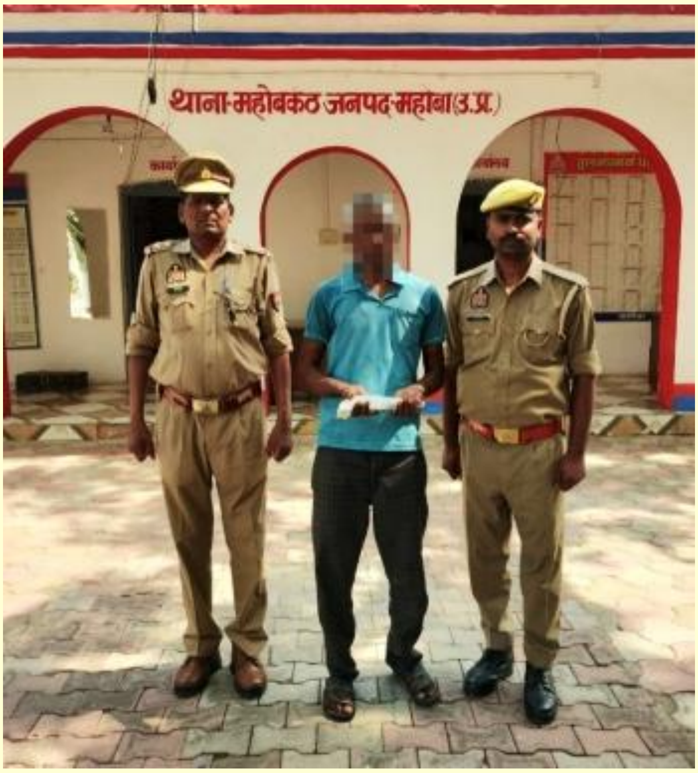

दिनांक- 18.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 221/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी थाना चरखारी

थाना चरखारी पुलिस टीम ने

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 02 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के पर्यवेक्षण में जनपद में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध शस्त्र/शराब/गांजा/जुआ की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना चरखारी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उक्त अभियान के क्रम में थाना चरखारी पुलिस टीम, जिसमें उ0नि0 हार्दिक सिंह, हे0का0 महेन्द्र गौतम एवं का0 लोकेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा आज दिनांक 18.06.2026 को दौराने चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन/वस्तु एवं शांति व्यवस्था के दौरान जयसागर तालाब के किनारे श्मशान घाट मोड़ के पास, मुहल्ला महावीर नगर कस्बा चरखारी से 02 नफर अभियुक्तों को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के पास से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना चरखारी पर मु0अ0सं0 132/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा अन्य विधिक कार्यवाही अमल में लाई गई।

बरामदगी (अभियुक्तवार)-

1.मौसम राजपूत के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद
2.समीर खान उर्फ अब्दुल फरदीन खान के कब्जे से 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 हार्दिक सिंह, थाना चरखारी जनपद महोबा
2.हे0का0 महेन्द्र गौतम, थाना चरखारी जनपद महोबा
3.का0 लोकेन्द्र प्रताप सिंह, थाना चरखारी जनपद महोबा

बरामदगी-

- 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर
- 03 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.मौसम राजपूत पुत्र राजेश राजपूत, निवासी ग्राम सिजौरा थाना चरखारी जनपद महोबा
2.समीर खान उर्फ अब्दुल फरदीन खान पुत्र बबलू खान उर्फ अब्दुल जमील खान, निवासी मुहल्ला नवादा कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा

दिनांक- 18.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 222/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर थाना खन्ना

थाना खन्ना पुलिस टीम ने

18 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना खन्ना पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

थानाध्यक्ष खन्ना श्री धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उपनिरीक्षक श्री लक्ष्मीनारायण सिंह मय हमराह रि0का0 हेमन्त कुमार द्वारा दिनांक 17.06.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर ब्रह्मचारी डिग्री कॉलेज के सामने, गुड़ा रोड, ग्राम खन्ना से एक अभियुक्त जागेन्द्र यादव पुत्र रामबाबू यादव, निवासी ग्राम मवईखुर्द थाना खन्ना जनपद महोबा, उम्र करीब 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से एक सफेद बोरी में 18 अदद क्वार्टर अवैध देशी शराब (ब्राण्ड “मस्तीह”) बरामद की गई। उक्त बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना खन्ना पर मु0अ0सं0 54/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :

जागेन्द्र यादव पुत्र रामबाबू यादव, उम्र करीब 22 वर्ष निवासी – ग्राम मवईखुर्द, थाना खन्ना, जनपद महोबा

बरामदगी का विवरण :

- एक सफेद बोरी में 18 अदद क्वार्टर अवैध देशी शराब (ब्राण्ड “मस्तीह”)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :

1.उ0नि0 लक्ष्मीनारायण सिंह

2.रि0का0 हेमन्त कुमार

दिनांक- 18.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 223/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी, थाना श्रीनगर

थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में प्रचलित एवं आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले वारण्टी/वांछित अभियुक्तों के सत्यापन एवं गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक- 18.06.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्रीनगर श्री प्रवीण सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 संदीप विमल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुकदमा संख्या 1608/2015 अ0स0 249/15 धारा 457/380/511 भादवि से संबंधित 01 नफ़र वारण्टी अभियुक्त अरविन्द अहिरवार पुत्र शिवनाथ अहिरवार उम्र करीब 30 वर्ष नि0 ग्राम सिजहरी थाना श्रीनगर जपनद महोबा को थाना क्षेत्र के ग्राम सिजहरी से नियमानुसार गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अरविन्द अहिरवार पुत्र शिवनाथ अहिरवार उम्र करीब 30 वर्ष नि0 ग्राम सिजहरी थाना श्रीनगर जपनद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 संदीप विमल थाना श्रीनगर